न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : – देवीलाल यादव (R.A.S.)
राजस्व प्रकरण संख्या : – 82/2024

उनवान

तेजूराम उर्फ तेजमल पुत्र अमरा जाति जाट निवासी ग्राम सनोद, नसीराबाद,
—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह राठौड

बनाम

1. जीवणराम पुत्र उगमा,
2. भोली पुत्र रामप्रताप जाति जाट नि. सनोद, नसीराबाद,
3. मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक सनोद, नसीराबाद,
4. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 व 2 जरियें अधिवक्ता श्री हेमंत शेखर
3 अनुपस्थित, 4 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 14.6.24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सनोद के हाल खाता संख्या 305/264 खसरा नम्बर 312/5592, 318/5593, 4839, 5205 किता 4 रकबा 1.74, 5454 रकबा 1.11 की आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की खातेदारी है। उक्त आराजी में वादी का नाम विरासत दर्ज करते समय तेजमल पुत्र अमरा कर दिया जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम तेजुराम पुत्र अमरा है। वादी का नाम राजस्व अभिलेख में गलत होने के कारण कई प्रकार की समस्या का सामना करना पड रहा है। अतः आराजी मुतनाजा पर वादी को खातेदार घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया। प्रतिवादी संख्या 3 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी अपना नाम तेजमल के स्थान पर तेजूराम करवाना चाहता है जो कि उचित प्रतित होता है। नाम परिवर्तन करने से राजहित प्रभावित नही होता है। प्रकरण का कोई खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। खाता संख्या 305/264 किता 4 रकबा 1.74 व खसरा नम्बर 5454 रकबा 1.11 पर वादी का नाम तेजमल पुत्र अमरा दर्ज है। उक्त आराजी वादी की पुश्तैनी है। ग्राम पंचायत सनोद द्वारा भी प्रमाण पत्र पेश किया है जिसके अनुसार तेजूीरम व तेजमल एक ही व्यक्ति है। वादी द्वारा प्रस्तुत पेन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड में वादी का नाम तेजूराम अंकित है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने प्रकरण में कोई खण्डन पेश नही किया है। राज0 पैरोकार ने भी जाहिर किया है कि वादी का नाम परिवर्तन करने से राजहित प्रभावित नही होता है। वादी का नाम दुरूसत करने से अन्य व्यक्तियों के हित भी प्रभावित नही होगे।

उक्तानुसार ग्राम सनोद के खाता संख्या 305/264 किता 4 रकबा 1.74 व खसरा नम्बर 5454 रकबा 1.11 पर वादी का नाम की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादी का नाम तेजमल पुत्र अमरा के सथान पर तेजूराम पुत्र अमरा दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिकी व मुकदमें इब्राई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

तेजूराम बनाम जीवनराम

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 , राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 82 / 2024
पेश करने की दिनांक – 06.05.24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस) व हाजिर अभिभाषक नरेन्द्र सिंह राठौड मुददई अभिभाषक हेमंत शेखर व राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :–

ग्राम सनोद के खाता संख्या 305 / 264 किता 4 रकबा 1.74 व खसरा नम्बर 5454 रकबा 1.11 पर वादी का नाम की आराजी पर वादी का वाद "स्वीकार" किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादी का नाम तेजमल पुत्र अमरा के सथान पर तेजूराम पुत्र अमरा दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक—— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 14 माह 6 सन 2024 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद